षोडश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-26.02.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स० श्री बृज किशोर बिंद, स०वि०स० श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स० श्रीमती भागीरथी देवी, स०वि०स० श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स०वि०स० श्री अजय कुमार सिंह, स०वि०स० श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री अरुण कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री नितिन नवीन, स०वि०स० श्री प्रकाश राय, स०वि०स०	"पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सरियापुर ग्राम में चीनी उद्योग की स्थापना हेतु वर्ष 2007 में मेसर्स कमलापुर शुगर रिफाईनरी लि०, कोलकाता द्वारा स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एस०आई०पी०बी०), पटना को एक प्रस्ताव सौंपा गया। एस०आई०पी०बी०, पटना द्वारा 26 अक्टूबर, 2007 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई तथा 4 मार्च, 2008 को मंत्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रस्तावित उद्योग का नामाकरण ग्लोब शुगर रिफाईनरी लि० करने का अनुरोध किया गया जिसे स्वीकृति प्रदान की गयी। मिल प्रबंधन एवं स्थानीय किसानों के बीच आवश्यक शर्त के साथ आपसी सहमति बनने के पश्चात किसानों द्वारा चीनी उद्योग की स्थापना हेतु 105 एकड़ जमीन का निबंधन किया जा चुका है परन्तु समय-सीमा बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिससे भूमि उपलब्ध कराने वाले किसान दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। अतः प्रस्तावित चीनी मिल का निर्माण कार्य शीघ्र कराने, भूमिदाता किसानों की भूमि का मूल्य निर्धारण पुनः भूमि अधिग्रहण एक्ट के अनुसार करने एवं चीनी उद्योग स्थापित करने में विलम्ब के लिये दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"	गन्ना उद्योग

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री अचमित ऋषिदेव, स०वि०स०	"अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के हांसा पंचायत स्थित ग्राम लक्ष्मीपुर यादव टोली में दुलारदई नदी पर पुल नहीं रहने से विशनपुर एवं पचीरा तरफ से आने वाले लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । लक्ष्मीपुर गाँव के 1000 किसानों का जमीन दुलारदई नदी के पश्चिम पार में पड़ता है, जो बाढ़ एवं बरसात में खेती-बाड़ी के लिए इस पार उस पार आना-जाना करते रहते हैं । इसके साथ ही धान, गेहूँ, मक्का का फसल तैयार होने के बाद उगाही करने में बीच में नदी आने से नाव से ढुलाई करना पड़ता है अथवा 15 किलोमीटर घूमकर पचीरा-डाकबंगला होते आना पड़ता है । दोनों ही स्थिति में किसानों को मजबूरी में नाव या ट्रैक्टर का भाड़ा देना ही पड़ता है जिससे किसानों का कृषि लागत काफी बढ़ जाता है । अतः रानीगंज प्रखंड के ग्राम-लक्ष्मीपुर यादव टोली में दुलारदई नदी पर पुल बनाने के लिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	पथ निर्माण / ग्रामीण कार्य

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-01/16- 277 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25 फरवरी, 2016 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गन्ना उद्योग विभाग / पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25.2.16
(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-01/16- 277 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25 फरवरी, 2016 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

25.2.16
(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

25.02.16